न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर

अजमेर न्यायक्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	**–**	**डॉ. विमल व्यास आर.जे.एस.**
सी.आई.एस. संख्या	**–**	**5545/2014**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	**–**	**611/2012**
एफ. आई. आर. संख्या	**–**	**132/2012**
सीएनआर संख्या	**–**	**RJAJ220000342012**
आरक्षी केन्द्र	**–**	**पुष्कर**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर। **.....अभियोगी**

बनाम

1– कैलाश पुत्र शैतान, उम्र 33 साल, निवासी रसूलपुरा, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर।
2– विक्रमसिंह पुत्र सेवासिंह, उम्र 25 साल, निवासी बडल्या, पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर। **(मृतक कार्यवाही ड्रोप दिनांक 11.12.2019)**
3– गोपाल पुत्र रामसिंह, उम्र 28 साल, निवासी बडल्या, पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर।

..... अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:–

अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।

श्री अर्जुनसिंह राठौड़, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

–: प्रकरण के संक्षिप्त विवरण :–

अपराध की तिथि	12.07.2012
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	13.07.2012
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	05.09.2012
आरोप सुनाए जाने की तिथि	05.04.2013
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	12.06.2013
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	11.05.2026
निर्णय की तिथि	11.05.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	–

–: अभियुक्त का विवरण :–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गए दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गई अवधि
1.	कैलाश	17.07.2012	25.07.2012	457, 380 भारतीय दण्ड संहिता	दोषसिद्ध	दण्डादेशानुसार	09 दिवस
2.	गोपाल						

–: अभियोजन/बचाव/न्यायालय साक्षी सूची :–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	जगदीश	शिकायतकर्ता
पीडब्ल्यू–2	संजय कुमार	औपचारिक साक्षी
पीडब्ल्यू–3	रविन्द्र सिंह	नक्शा मौका घटनास्थल का साक्षी
पीडब्ल्यू–4	सुशील कुमार	नक्शा मौका घटनास्थल का साक्षी
पीडब्ल्यू–5	प्रदीपराम	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल का साक्षी
पीडब्ल्यू–6	हरिराम	पुलिस साक्षी
पीडब्ल्यू–7	महिपाल	फर्द गिरफ्तारी व नक्शा मौका का साक्षी
पीडब्ल्यू–8	लेखराज	पुलिस साक्षी
पीडब्ल्यू–9	छोटू उर्फ रामलाल	पुलिस साक्षी
पीडब्ल्यू–10	शम्भूदयाल	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू–11	जेठूसिंह	पुलिस साक्षी
पीडब्ल्यू–12	सुखराम	पुलिस साक्षी

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

–: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची :–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1

2	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी–2
3	नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–3
4	कम्प्यूटर का लगाने की इन्स्टोलेशन रिपोर्ट	प्रदर्श पी–4
5	अभियुक्तगण के सजायाबी रिकॉर्ड	पुनः प्रदर्श पी–4
6	चोरी गए सामान की सूची	प्रदर्श पी–5
7	एलसीडी की डिलीवरी चालान	प्रदर्श पी–6
8	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल अभियुक्तगण	प्रदर्श पी–7
9	फर्द जब्ती एलसीडी जरिये अभियुक्त गोपाल	प्रदर्श पी–8
10	फर्द जब्ती एक कम्प्यूटर, एक सीपीयू, एक कीबोर्ड, एक माउस विप्रो कंपनी व एक मारूति कार जरिये अभियुक्त विक्रम सिंह	प्रदर्श पी–9
11	फर्द जब्ती एक ताला टूटा हुआ, एक लोहे का नुकिला नकाब, एक लोहे का चपटा नकाब, कम्प्यूटर के पार्टस के दो ढक्कन अभियुक्तगण	प्रदर्श पी–10
12	नक्शा मौका बरामदगी स्थल र्द जब्ती एक ताला टूटा हुआ, एक लोहे का नुकिला नकाब, एक लोहे का चपटा नकाब, कम्प्यूटर के पार्टस के दो ढक्कन जरिये अभियुक्तगण	प्रदर्श पी–11
13	नक्शा मौका बरामदगी स्थल निशादेही अभियुक्त विक्रम	प्रदर्श पी–12
14	नक्शा मौका बरामदगी स्थल निशादेही अभियुक्त गोपाल	प्रदर्श पी–13
15	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियुक्त कैलाश	प्रदर्श पी–14
16	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियुक्त विक्रम सिंह	प्रदर्श पी–15
17	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियुक्त गोपाल	प्रदर्श पी–16
18	संपत्ति की तलाशी व जब्ती फार्म एक कम्प्यूटर, एक सीपीयू एक की बोर्ड, एक माउस विप्रो कंपनी	प्रदर्श पी–17
19	बरामदगी स्थल नक्शा मौका निशादेही अभियुक्त कैलाश	प्रदर्श पी–18
20	तस्दीक मौका घटनास्थल बालक रामलाल	प्रदर्श पी–19
21	फर्द निरूद्धगी विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालक रामलाल	प्रदर्श पी–20
22	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम बालक रामलाल	प्रदर्श पी–21
23	संपत्ति की तलाशी व जब्ती फार्म बालक रामलाल	प्रदर्श पी–22
24	नक्शा मौका बरामदगी स्थल निशादेही बाल रामलाल	प्रदर्श पी–23
25	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त विक्रम सिंह	प्रदर्श पी–24
26	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त कैलाश	प्रदर्श पी–25
27	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त गोपाल	प्रदर्श पी–26

28	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त विक्रम सिंह	प्रदर्श पी–27
29	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त विक्रम सिंह	प्रदर्श पी–28
30	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त गोपाल	प्रदर्श पी–29
31	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त गोपाल	प्रदर्श पी–30
32	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त विक्रम सिंह	प्रदर्श पी–31
33	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त कैलाश	प्रदर्श पी–32
34	नकल रपट रोजनामचा आम	प्रदर्श पी–33

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
–	–	–

निर्णय **दिनांक 11.05.2026**

1– इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना, पुष्कर की ओर से दिनांक 05.09.2012 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर हुआ। कालांतर में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के आदेश क्रमांक 09 दिनांक 06.01.2026 की पालना में हस्तगत प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है। उल्लेखनीय रहे कि न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.12.2019 के अनुसार अभियुक्त विक्रम की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई। यह भी उल्लेख किया जाना वांछनीय है कि प्रकरण में बाल अपचारी रामलाल उर्फ रामू के विरूद्ध भी आरोप प्रमाणित पाया गया था किंतु इस निर्णय के द्वारा केवल अभियुक्त कैलाश व गोपाल के विरूद्ध आरोपित अपराध की हद तक प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है और बाल अपचारी रामलाल के संदर्भ में इस प्रकरण में पेश साक्ष्य का विवेचन नही किया जा रहा है।

2– अभियोजन वृतांत संक्षिप्त में इस प्रकार है कि परिवादी जगदीश ने दिनांक 13.07.2012 को एक तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर के समक्ष इस आशय की पेश की कि वह राजकीय माध्यमिक विद्यालय होकरा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है तथा कल दिनांक 12.07.2012 को विद्यालय की छुट्टी के बाद हमेशा की तरह परिवादी प्रधानाध्यापक कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष व अन्य समस्त कमरों व मुख्य गेट के ताला लगाकर गया था तथा उस समय प्रधानाध्यापक कक्ष में सभी कम्प्यूटर व अन्य सामग्रियां व्यवस्थित छोड़कर गया था। दूसरे दिन दिनांक 13.07.2012 यानि आज प्रातः7.00 बजे वह विद्यालय का मुख्य गेट का ताला खोलकर अंदर आया तो उसने प्रधानाध्यापक कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष का ताला नहीं पाया तथा कुन्दी लगी हुई थी। जब उसने दरवाजा खोला तो कम्प्यूटर कक्ष में से 5 कम्प्यूटर सैट मय मॉनीटर, सीपीयू, माउस, की

बोर्ड, केबल, एलसीडी, स्कैनर व प्रिंटर आदि सामग्री गायब मिली, जिसकी सूचना सर्वप्रथम प्रधानाध्याक को दूरभाष पर दी तथा थोड़ी देर बाद मौके पर सरपंच होकरा आ गए थे, जिन्होंने फोन पर सूचना दी। परिवादी विद्यालय में हुई कम्प्यूटरों की चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। .....आदि।

3– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 132/2012 अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 05.04.2013 को अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई

5– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार साक्षीगण को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

6– तत्पश्चात् अभियुक्तगण का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को झूठा बताते हुए कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

7– बहस अंतिम सुनी गई। अभियुक्तगण के धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के बंध पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किए गए।

8– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है किः–

''क्या, अभियुक्तगण ने मिलकर दिनांक 12.07.2012 की मध्य रात्रि के किसी समय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होकरा में चोरी करने की नीयत से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित कर विद्यालय में रखे 05 कम्प्यूटर मय मॉनीटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, केबल, स्कैनर, प्रिंटर बदनियति पूर्वक उठाकर ले गए, चोरी कारित की? यदि हाँ तो अभियुक्तगण किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है? ''

9– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि साक्षीगण के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्तगण की लिप्तता को प्रकट करे। अंत में, अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11– उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण

के प्रमाणीकरण हेतु 12 साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्नप्रकार है:–

साक्षी पीडब्ल्यू–1 जगदीश ने शपथ पर कथन किया कि वर्ष 2011 जुलाई से वह निरन्तर राज.मा.वि.में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। दिनांक 12.07.2012 को इसी विद्यालय में ड्यूटी पर था। सुबह समय 7:30 बजे से 12:30 बजे तक था। उस दिन कम्प्यूटर कक्ष, अन्य समस्त कमरों व मुख्य दरवाजे का ताला प्रतिदिन की तरह लगाकर दोपहर एक बजे घर हेतु निकला था। उस समय वह प्रधानाध्यापक कक्ष में सभी कम्प्यूटर व अन्य सामान सुरक्षित छोडकर गया था। स्कूल में कम्प्यूटर कक्ष में ही प्रधानाध्यापक बैठते थे। अगली सुबह दिनांक 13.07.2012 को वह सुबह 7:00 बजे स्कूल में आया व मुख्य दरवाजा का ताला खोलकर अंदर गया तब कम्प्यूटर कक्ष के गेट पर ताला लगा हुआ नहीं था, केवल कुण्डी लगी थी। उसके बाद उसने गेट खोलकर बाहर से ही देखा तो कक्ष में कम्प्यूटर एलसीडी, प्रिंटर मशीन व कम्प्यूटर सेट आदि नहीं थे। कक्षा में 5 कम्प्यूटर सेट थे। फिर उसने उनके एचएम संजय शर्मा को फोन पर सूचना दी। सरपंच प्रताप स्कूल में ही आ गए थे, जिनको उसने इस संबंध में बताया। सरपंच ने भी कम्प्यूटर कक्ष को देखा। सरपंच ने फोन द्वारा थाने पर सूचना दी, उनका स्टॉफ भी आ गया था। उस दिन संजय प्रिंसीपल के छुट्टी पर होने के कारण आई/सी रविन्द्र सिंह और सुशील भी आ गए थे, फिर उसने उन्हें सारी स्थिति से अवगत करवाया। थाने पर उसी दिन 12 बजे के बाद लिखित में रिपोर्ट कर दी थी। प्रदर्श पी–1 लिखित रिपोर्ट देने वह, रविन्द्र व सुशील गए थे। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका बनाने पुलिस 1:30 बजे स्कूल में आये थे, जो प्रदर्श पी–3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा बनाते समय रविन्द्र व सुशील भी उसके साथ मौके पर थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि उसने किसी को चोरी करते हुए नहीं देखा। उसने कम्प्यूटर के बिल पुलिस को दिए थे या नहीं, यह उसे पता नहीं है। उसे दिनांक 03.07.2012 को सुबह चोरी का पता चला, जब वह ड्यूटी पर गया था। रिपोर्ट उसने साथियों से लिखवाई थी। वह पांचवी पास है। उसने रिपोर्ट किससे लिखवाई, उसका नाम वह नहीं बता सकता। उसके साथी, उसके साथ गए थे, उनसे लिखवाई।

साक्षी पीडब्ल्यू–2 संजय कुमार ने शपथ पर कथन किया कि वह वर्ष 2016 से आज दिनांक तक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत था। दिनांक 13.07.2012 को वह अवकाश पर था। उस दिन सहायक कर्मचारी जगदीश प्रसाद ने उसको फोन पर बताया कि कल दिनांक 12.07.2012 को स्कूल की छुट्टी के बाद वे सभी कमरों, कम्प्यूटर कक्ष व मैन गेट के ताला लगाकर गया था और उस दिन कम्प्यूटर कक्ष में रखा सभी सामान व्यवस्थित छोडकर गया था। दिनांक 13.07.2012 को जब जगदीश 7:00 बजे स्कूल के मैन गेट का ताला खोलकर अंदर गया तो देखा कि कम्प्यूटर कक्ष में केवल कुण्डी लगी हुई है, ताला लगा हुआ नहीं है, फिर उसने कमरा खोला तो अंदर रखे सभी कम्प्यूटर मय प्रिंटर, कीबोर्ड तथा एलसीडी गायब मिले। इसके बाद उसने जगदीश को पुलिस कार्यवाही करने का कहा और अगले दिन 14 तारीख को वह स्कूल गया तो उसने भी देखा कि उक्त

बताया सामान कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया था। स्कूल में उक्त कम्प्यूटर लगाने की इन्स्टोलेशन रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। चोरी गए समान की सूची उसने पेश की थी, जो प्रदर्श पी–5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त एलसीडी की डिलीवरी चालान प्रदर्श पी–6 पर उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि कम्प्यूटर बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। पूछताछ पुलिस ने उससे घटना के दूसरे दिन की थी। उनके स्कूल में रात्रि में कोई चौकीदार नहीं रहता है। उनकी स्कूल हाइवे रोड पर स्थित है। हाइवे होने के कारण स्कूल में कोई भी व्यक्ति आ–जा सकता है। स्कूल के आसपास आबादी क्षेत्र है, जहां लोग रहते हैं। यह बात सही है कि चोरीशुदा सामान आज न्यायालय में नहीं है। यह सही है कि उसकी वर्ष 2010 से स्कूल में नियुक्ति बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है।

साक्षी पीडब्ल्यू–3 रविन्द्र सिंह ने शपथ पर कथन किए कि दिनांक 12.07.2012 को वह वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत था। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद सहायक कर्मचारी जगदीश ने स्कूल के कम्प्यूटर कक्ष सहित अन्य कमरों व मैन गेट को ताले से बंद कर दिया था और वे चले गए थे। वे लोग कम्प्यूटर कक्ष में रखे कम्प्यूटर एलसीडी, कीबोर्ड, माउस इत्यादि सभी व्यवस्थित छोड़कर गए थे। अगले दिन सुबह करीब 7:30 बजे जब वह स्कूल पहुंचा तो देखा कि कम्प्यूटर कक्ष के बाहर सहायक कर्मचारी जगदीश सहित सारे अध्यापक खडे थे, तभी जगदीश ने बताया कि कम्प्यूटर कक्ष में रखे कम्प्यूटर वगैरह चोरी हो गए है, फिर उसने कम्प्यूटर कक्ष का गेट खोलकर देखा तो कम्प्यूटर कक्ष में रखे पांच कम्प्यूटर सेट मॉनीटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड लगा एक एलसीडी, स्कैनर व प्रिंटर आदि समान गायब मिले, जिनको रात्रि में कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गए थे। उन्होने अपने स्तर पर काफी प्रयास किए, लेकिन चोरों का पता नहीं चला। पुलिस ने उसके सामने घटना का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 बनाया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि उसके पुलिस ने घटना के दिन ही बयान लिए थे। घटना के बाद वह थाने पर एक बार ही गया था और एक ही कागज पर हस्ताक्षर किए थे। यह सही है कि उसकी स्कूल में नियुक्ति बाबत कोई कागज पत्रावली में नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–3 पर हस्ताक्षर उसने थाने पर किए है।

साक्षी पीडब्ल्यू–4 सुशील कुमार ने शपथ पर कथन किया कि जुलाई 2012 को वह वरिष्ठ अध्यापक के पद पर विद्यालय होकरा में कार्यरत था। पुलिस ने उनके स्कूल में कम्प्यूटर चोरी के मामले में घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 बनाया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना गलत है कि उसने प्रदर्श पी–3 पर हस्ताक्षर थाने पर किए हो। हस्ताक्षर से पहले उस पर लिखापढ़ी हो रही है, उसे घटना के दिन ही बनाया था। वह नक्शा मौका के बारे में नहीं समझता। यह उसे ध्यान नहीं है कि उसके साथ कितने व्यक्तियों के उस पर हस्ताक्षर कराये थे।

साक्षी पीडब्ल्यू–5 प्रदीपराम ने शपथ पर कथन किया कि दिनांक 18.07.2012 को वह विद्यालय होकरा में कार्यरत था। उस दिन गिरफ्तारशुदा अभियुक्त

कैलाश, गोपाल व विक्रम ने होकरा के स्कूल, जहां से उन्होने चोरी की कि तस्दीक की थी, जिस पर शम्भूदयाल एएसआई ने नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–7 बनाया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि घटना के पाँच दिन बाद प्रदर्श पी–7 बनाया था। प्रदर्श पी–7 शाम के समय 6.45 पीएम पर बनाया था। यह सही है कि घटनास्थल आबादी स्थल है, वहाँ लोग–बाग रहते हैं। यह सही है कि उसके सामने अनुसंधान अधिकारी ने किसी भी गाँव वाले के हस्ताक्षर प्रदर्श पी–7 में नहीं करवाये थे। यह गलत है कि प्रदर्श पी–7 थाने पर बनाई हो और वह अनुसंधान अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी होने से झूठे बयान दे रहा हो।

साक्षी पीडब्ल्यू–6 हरिराम ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 13.07.2012 को होकरा स्कूल में पदस्थापित था। उस रोज शम्भूदयाल एएसआई ने अभियुक्त गोपाल की इत्तला के मुताबिक एक एलसीडी सैमसंग कम्पनी, रंग काला, 32 इंच को जरिये फर्द प्रदर्श पी–8 के जब्त की थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को अभियुक्त विक्रम की इत्तला आधार पर एक कम्प्यूटर विप्रो कम्पनी का दो सीडी, सीपीयू तथा माउस व चोरी की घटना में काम ली गई मारूती नम्बर 1748 को जरिये फर्द प्रदर्श पी–9 के जब्त किया था, उक्त फर्द पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त कैलाश, गोपाल व विक्रम की इत्तला के आधार पर एक टूटा हुआ ताला, दो नकाब व दो कम्प्यूटर के किसी पार्ट के ढक्कन जरिये फर्द प्रदर्श पी–10 के जब्त किए थे जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 21.07.2012 को उक्त तीनो अभियक्तगण की निशादेही से नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–11 बनाया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त विक्रम की निशादेही से नक्शा मौका प्रदर्श पी–12 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका बरामदगी स्थल द्वारा अभियुक्त गोपाल प्रदर्श पी–13 बनाया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि प्रदर्श पी–8, 9, 10 जब बनाया, तब उनके साथ परिवादी नहीं था। जिसमें एलसीडी जब्त की थी वो जब्ती सबसे पहले बनाई थी। प्रदर्श पी–8, 9, 10 अलग–अलग दिन बनाई थी। प्रदर्श पी–8, 9, 10 बनाते समय उसके अलावा आईओ शम्भूदयाल एएसआई, कांस्टेबल महिपाल सिंह, मुलजिम ये लोग मौजूद थे। घटना के सात दिन बाद वह बरामदगी स्थल पर गया था। दिनांक 20.07.2012 के बाद भी वह बरामदगी स्थल पर गया था। दूसरी बार भी वही व्यक्ति थे जो पहले मौजूद थे। प्रदर्श पी–8, 9, 10 में मालिक के नाम की कोई नेम प्लेट लगी हुई नहीं थी। बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–11, 12 व 13 में दरवाजा खुला हो या उसके लॉक लगा हो या उसके कुन्डी लगी हो तो आज उसे याद नहीं है। यह सही है कि बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–8, 9, 10 का आरोपीगण के मालिकाना हक के ही हो तो ऐसे मालिकाना हक बाबत कोई दस्तावेज आईओ ने नहीं लिया था। यह सही है कि प्रदर्श पी–11, 12, 13 आरोपीगण के मालिकाना हक के ही हो तो ऐसे मालिकाना हक बाबत कोई दस्तावेज आईओ ने नहीं लिया था। प्रदर्श पी–11 सुनसान जगह थी इसलिए वहाँ कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया। प्रदर्श पी–12 व 13 बनाते समय किसी स्वतंत्र साक्षी को नहीं बुलाया। यह सही है कि उसके सामने आईओ ने प्रदर्श पी–11, 12 व 13 में किसी सरपंच या वार्ड पंच को साक्षी बनने के लिए कोई तहरीर

जारी नहीं की। उसे जानकारी नहीं है कि जब्तशुदा सामान बाजार में मिल सकता हो। प्रदर्श पी–11,12 व 13 बनाते समय जब्ती की कार्यवाही में जितना समय लगता है, उतनी देर रुका था, निश्चित समय वह नहीं बता सकता कि कितनी देर वह वहाँ रूका था। प्रदर्श पी–12 व 13 घटना के सात दिन बाद बनाई थी। प्रदर्श पी–11 घटना के आठ र्दिन बाद बनाया था। प्रदश पी–11, 12 व 13 आईओ शम्भूदयाल शर्मा ने बनाई थी। प्रदर्श पी–8, 9 व 10 बनाने में कितना समय लगा यह वह नहीं बता सकता। प्रदर्श पी–8, 9, 10 एक साथ बनाई, फिर कहा अलग–अलग बनाई। प्रदर्श पी–8, 9 व 10 की कार्यवाही भी शम्भूदयाल ने की थी। यह सही है कि जो सामान जब्त किया था वो आज न्यायालय में नहीं है। जब्तशुदा सामान पर भिन्न–भिन्न इबारत मार्का के रूप में अंकित हो रखी थी। ताला व कुशे का परिवादी ने कोई बिल उसके सामने पेश नहीं किया था। यह गलत है कि समस्त फर्दे थाने पर बैठकर बनाई गई हो और गलत फर्द जब्ती बनाई गई हो।

साक्षी पीडब्ल्यू–7 महिपाल सिंह ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 17.07.2012 को पुलिस थाना पुष्कर पर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 132/2012 धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में मुलजिम कैलाश को उसके व श्रवणराम के समक्ष गिरफ्तार किया गया व उससे मुलजिम की तलाशी लिवाई गई थी, जिसकी फर्द गिरफ्तारी जामा तलाशी प्रदर्श पी–14 पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन उक्त प्रकरण में ही मुलजिम विक्रम को भी उसके व श्रवणसिंह के समक्ष गिरफ्तार कर उससे तलाशी लिवाई गई, जो प्रदर्श पी–15 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन उक्त प्रकरण के मुलजिम गोपाल को भी उसके व श्रवणराम के समक्ष गिरफ्तार कर जामा तलाशी लिवाई गई, जो प्रदर्श पी–6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में गिरफ्तार कैलाश से एक कम्प्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस विप्रा कंपनी के मुताबिक इत्तला धार 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला पर मुलजिम कैलाश क रिहायशी मकान से बरामद कर उसके व श्रवणराम साक्षीगण के समक्ष जब्त किया गया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–17 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। जब्तशुदा चारों आइटम को सफेद प्लास्टिक के कट्टे में जब्त कर सील मोहर मार्का अंकित किया। उक्त प्रकरण में ही मुलजिम कैलाश, विक्रम व गोपाल की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला पर उनकी निशादेही से उसके व हरिराम के सामने टूटा हुआ ताला, दो कुशे, कम्प्यूटर के दो टूटे हुए पार्टस स्थान श्रीनगर रोड, लिरी का बाडा तिराहा से जब्त किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–10 है, जिस पर उसे हस्ताक्षर है। दिनांक 18.07.2012 को समय 6:45 पी.एम. पर वह और कांस्टेबल प्रदीपराम साक्षीगण के समक्ष मुलजिम कैलाश, विक्रम व गोपाल की निशादेही से घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका बनाया, जो प्रदर्श पी–7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 21.07.2012 को समय 9:00 ए.एम. पर अभियुक्तगण से बरामद समान मिला, उसका बरामदगी नक्शा मौका उसके व हरिराम के समक्ष बनाया गया। फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–11 है, जिस पर उसके हस्तक्षर है। मुलजिम कैलाश की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला, जो माल बरामद हुआ, उस स्थान का नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–18 उसके व श्रवणराम के सामने बनाया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह बात सही है कि प्रदर्श पी–

14, प्रदर्श पी–15 व प्रदर्श पी–16 पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी–14, पी–15 व पी–16 उसने पढकर हस्ताक्षर किए थे। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–14 में अभियुक्त कैलाश को गिरफ्तार किया, इसकी सूचना उसके परिवार वालों को, यह सूचना दी, यह बात नहीं लिखी है और प्रदर्श पी–15 में विक्रमसिंह को गिरफ्तार करने की सूचना उसके परिवार वालों को दी हो, यह बात नहीं लिखी है तथा प्रदर्श पी–16 में गोपाल को गिरफ्तार करने की सूचना उसके परिवार वालों को दी हो, यह बात नहीं लिखी है। अभियुक्तगण में से सबसे पहले अभियुक्त कैलाश को गिरफ्तार किया था। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–10 व प्रदर्श पी–17 जब बनाई, उस समय उसके साथ परिवादी मौजूद नहीं था। प्रदर्श पी–10 पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी–17 की संपूर्ण कार्यवाही में लगभग पौन घण्टा लगा था। प्रदर्श पी–17 का दर्शित स्थान गांव रसूलपुरा अजमेर से प्रदर्श पी–10 में दर्शाया गया, लीरी का बाडिया तिराहा लगभग 15–16 से किलोमीटर पडता है। उनको रसूलपुरा से लीरी का बाडिया तिराहा जाने में लगभग 20 से 25 मिनट लगे थे। बाडिया तिराहे पर नक्शा मौका बनाया था, स्वतः कहा कि ताले जब्त किए थे। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–7 में दर्शाये गए स्थान के आसपास आबादी क्षेत्र है, वहां पर लोगबाग रहते है। आईओ ने प्रदर्श पी–7 बनाते समय उसके सामने किसी भी आसपास के लोगों को नहीं बुलाया। स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए और ना ही किसी से पूछताछ की। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–7, 11 व प्रदर्श पी–18 बनाते समय आईओ ने उसके सामने संबंधित वार्डपंच या सरपंच के लिखित में तहरीर जारी नहीं की, स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–7 के स्थान के सामने हाइवे रोड है। हाइवे रोड पर लोगबाग आ–जा रहे थे, अपना वाहन लेकर। यह बात सही है कि आईओ शम्भूदयाल ने किसी भी वाहन को रोककर वाहन चलाने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की थी। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–11 खुला स्थान है और जंगल ही हैं। वहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से आ–जा सकता है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–11 वाला स्थान तिराहा है, वहां पर भी उस समय वाहन आ–जा रहे थे। यह बात सही है कि उस समय भी किसी वाहन के चालक को रोककर उसके सामने कोई पूछताछ नहीं की। यह बात सही है कि थाने से जब वे घटनास्थल पर रवाना होते हैं तो उनकी रोजनामचा में रपट डलती है। प्रदर्श पी–11 बनाने जब वे गए, तब इस बात की रपट रोजनाचा में डाली हो तो उसे आज ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–18 वाला स्थान आबादी क्षेत्र है और आसपास में लोगों के मकानात बने हुए है। आज उसे याद नहीं है कि उसके सामने आईओ ने जो आसपास मकानात बने हुए है, उनमें से लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया हो। उसके सामने आईओ शम्भूदयाल ने आरोपी कैलाश, शैतान व गोपाल के पहचान पत्र लिए हो तो उसे आज ध्यान नहीं है। उक्त मुलजिमानों के पहचान पत्र आईओ ने जब्त किए हो, वह पत्रावली पर नहीं है। उसके सामने कैलाश, शैतान व गोपाल के फ्रिंगरप्रिंट लिए हो तो उसे आज ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–18 में आरोपी का मकान दर्शाया है, उसमें आरोपी की नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी। प्रदर्श पी–18 बनाते समय आरोपी का मकान खुला हो या बंद हो, आज उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी–11 व प्रदर्श पी–18 में दर्शायी गई बरामदगी स्थल किसके मालिकाना हक का हो। उसके सामने आईओ ने उक्त मालिकाना हक संबंधी

दस्तावेज लिए हो तो उसे आज ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि जब्तशुदा सामान बाजार में आसानी से मिल जाता है। प्रदर्श पी–18 की कार्यवाही में लगभग पौन घण्टा लगा था। समस्त फर्दों पर लिखापढ़ी की कार्यवाही आईओ ने की थी। यह बात सही है कि जब्तशुदा माल आज न्यायालय के समक्ष नहीं है। यह कहना गलत है कि समस्त फर्दों पर उसने हस्ताक्षर थाने पर किए हो। यह कहना गलत है कि आईओ के अधीनस्थ कर्मचारी होने से आज झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी पीडब्ल्यू–8 लेखराज ने शपथ पर कथन किया कि दिनांक 19.07.2012 को पुलिस ने उसके सामने चोरी के मामले में आरोपी रामलाल को उसके सामने जरिए फर्द निरूद्ध किया था। साथ ही उक्त आरोपी की धारा 27 की इत्तला प्रदर्श पी–21 की इत्तला के आधार पर एक सैमसंग कम्पनी का लेजर प्रिंटर जरिए फर्द पी–22 जब्त किया था। फर्द निरूद्धगी प्रदर्श पी–20 है और फर्द जब्ती प्रदर्श पी–22 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा उसी रोज आरोपी रामलाल उर्फ रामू कि धारा 27 की इत्तला अनुसार उसके सामने घटना स्थल की तस्दीक कर नक्शा मौका घटना स्थल व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया, जो प्रदर्श पी–19 व 20 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण को उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा किए जाने हेतु अवसर दिए जाने के उपरान्त भी उक्त साक्षी से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

साक्षी पीडब्ल्यू–9 छोटू उर्फ रामलाल ने शपथ पर कथन किया कि दिनांक 09.07.2012 को पुलिस ने उसके सामने चोरी के मामले में आरोपी रामलाल को जरिये फर्द प्रदर्श पी–20 निरूद्ध किया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज आरोपी रामलाल उर्फ रामू की निशांदेही से उसके सामने घटनास्थल का तस्दीक नक्शामौका प्रदर्श पी–19 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण को उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा किए जाने हेतु अवसर दिए जाने के उपरान्त भी उक्त साक्षी से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

साक्षी पीडब्ल्यू–10 शम्भूदयाल ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 13.07.2012 को पुलिस थाना पुष्कर पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज परिवादी जगदीश प्रसाद ने थाना हाजा पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट थानाधिकारी गोपाललाल के समक्ष पेश की, जिस पर उन्होने कार्यवाही पुलिस अंकित कर प्रकरण संख्या 132/12 धारा 379 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान उसके जिम्मे किया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के पुष्ठ भाग पर सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित कर ई से एफ गोपाललाल थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 पर भी सी से डी एसएचओ गोपाललाल के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसी रोज दिनांक 13.07.2012 को ही घटनास्थल पर जाकर रविन्द्र और सुशील कुमार साक्षीन के समक्ष परिवादी जगदीश प्रसाद की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका घटनास्थल बनाया जो प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ, परिवादी व साक्षीन के हस्ताक्षर तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा पुष्ठ भाग पर हालात मौका अंकित है। दौराने अनुसंधान साक्षीन, परिवादी जगदीश प्रसाद, रविन्द्र सिंह भाटी, संजय कुमार शर्मा के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली की। दौराने अनुसंधान दिनांक 17.07.2012 को इत्तला पर

बूढा पुष्कर पहुंच कर मुलजिमान कैलाश, विक्रम सिंह, व गोपाल को साक्षीन के समक्ष पृथक–पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जिनकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–14, पी–15 व पी–16 है, जिन पर ए से बी, सी से डी, साक्षीन ई से एफ मुलजिम, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान जैर हिरासत मुलजिमान विक्रम सिंह, कैलाश और गोपाल ने पृथक–पृथक उसको धारा 27 की स्वेच्छा से इत्तला दी कि, उन्होंने जिस स्कूल से कम्प्यूटर चुराये थे वह स्थान स्कूल साथ चलकर बता सकते हैं। धारा 27 की इत्तला मुलजिम विक्रम की प्रदर्श पी–24, मुलजिम कैलाश की प्रदर्श पी–25, व मुलजिम गोपाल की प्रदर्श पी–26 है जिन पर ए से बी इत्तला, सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जिस पर उसके द्वारा जैर हिरासत मुलजिम कैलाश, गोपाल, विक्रम की इत्तला अनुसार दिनांक 18.07.2012 को राजकीय माध्यमिक विधालय होकरा पहुंच कर महिपाल सिंह व प्रदीपराम साक्षीन के समक्ष उपरोक्त मुलजिमान की निशादेही से तस्दीक कर तस्दीक नक्शामौका घटनास्थल बनाया, जो प्रदर्श पी–7 है, जिस पर ए से बी, सी से डी साक्षीन, ई से एफ, जी से एच, आई से जे मुलजिमान तथा के से एल उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान दिनांक 19.07.2012 को संर्घषरत बालक रामलाल को साक्षीन के समक्ष जरिये फर्द निरुद्ध किया, जिसकी फर्द निरूद्धगी प्रदर्श पी–20 है जिस पर ए से बी, सी से डी साक्षीन ई से एफ बालक रामलाल व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान धारा 27 की इत्तला दी कि उसने होकरा स्कूल से गोपाल, कैलाश व विक्रम के साथ जो कम्प्यूटर वगैरह चुराये थे, उनमें उसके हिस्से में एक प्रिन्टर आया था जो उसने उसके कमरे में पढ़ने के लिए रखी किताबो मे छुपा रखा है, जो साथ चलकर बता सकता है, जिसकी इत्तला प्रदर्श पी–21 है जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जिस पर मुलजिम की इत्तला से उसकी निशादेही से उसके घर पर पहुंच कर कमरे में से साक्षीन के समक्ष किताबों में से एक प्रिन्टर निकाल कर पेश किया, जिसको उसके द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी–22 जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–22 है जिस पर ए सेबी, सी से डी साक्षीन, ई से एफ मुलजिम तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। साथ ही बरामदगी स्थल का नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी–23 हैं जिस पर ए से बी, सी से डी साक्षीन, ई से एफ मुलजिम तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। निरूद्ध बालक रामलाल की निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक कर तस्दीक मौका घटनास्थल बनाया, जो प्रदर्श पी–19 है, जिस पर ए से बी, सी से डी साक्षीन, ई से एफ संर्घषरत बालक तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 20.07.2012 को दौराने अनुसंधान जैर हिरासत मुलजिम विक्रम सिंह द्वारा उसको स्वेच्छा से धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी कि उन्होने स्कूल में चोरी करने के बाद चोरी किए गए कम्प्यूटरों को जिस वैन से लेकर आये थे, वह उसकी है, जो उसने उसके घर पर खड़ी कर रखी है। धारा 27 की इत्तला प्रदर्श पी–27 है जिस पर ए से बी इत्तला, सी से डी मुलजिम विक्रम सिंह के व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा साथ ही जैर हिरासत मुलजिम विक्रम सिंह द्वारा उसको स्वेच्छा से पृथक से यह इत्तला भी दी कि उसने गोपाल, कैलाश व रामू ने होकरा स्कूल से जो कम्प्यूटर चुराये थे, उनमे उसके हिस्से मे आया एक कम्प्यूटर जिसको उसने उसके घर छुपा रखा है, जिसे चलकर बरामद करा सकता है। धारा 27 की इत्तला प्रदर्श पी–28 है जिस पर ए से बी इत्तला, सी से डी

मुलजिम विक्रम सिंह के व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, जिस पर उसके द्वारा मुलजिम की प्रदर्श पी–27 व पी–28 की इत्तला के अनुसार जैर हिरासत मुलजिम विक्रम सिंह के बताये अनुसार उनके निवास स्थान बडल्या मे उसके मकान पर पहुंचे तथा साक्षीन के समक्ष मुलजिम ने अपने मकान पर खड़ी एक वैन आरजे–01–यूए–1748, एक कम्प्यूटर एलसीडी, मॉनिटर विप्रो कम्पनी का, एक विप्रो कम्पनी का सीपीयू व उक्त कम्पनी का एक कीबोर्ड तथा एक माउस जो भी विप्रो कम्पनी का ही था, उनको निकाल कर साक्षीन के समक्ष उसको पेश किया, जो प्रकरण हाजा का चोरीशुदा माल मशरूका होने पर उसके द्वारा साक्षीन के समक्ष एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे में डालकर सील्ड मोहर कर मार्का डी अंकित किया तथा वैन व कम्प्यूटर सामग्री को जरिये फर्द जब्त किया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–9 है, जिस पर ए से बी सी से डी साक्षीन, इसे एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। साथ ही बरामदगी स्थल का नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी–12 है, जिस पर ए से बी सी से डी साक्षीन, ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान दिनांक 20.07.2012 को जैर हिरासत मुलजिम गोपाल द्वारा उसको स्वेच्छा से धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी कि विक्रम, कैलाश व रामू ने होकरा स्कूल से जो कम्प्यूटर चुराये थे उनमें उसके हिस्से में आया एक एलसीडी को उसने उसके घर छुपा रखा है, जिसे चलकर बरामद करा सकता है। धारा 27 की इत्तला प्रदर्श पी–29 है, जिस पर ए से बी इत्तला, सी से डी मुलजिम गोपाल के व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जिस पर उसके द्वारा मुलजिम की धारा 27 की इत्तला अनुसार बडल्या में उसके निवास स्थान पर पहुंच कर मुलजिम गोपाल द्वारा अपने घर में से एक सेमसंग कम्पनी की एलसीडी निकाल कर पेश की, जिस पर प्रकरण हाजा की चोरीशुदा होने पर उसके द्वारा साक्षीन के समक्ष एक प्लास्टिक के कट्टे मे डालकर सील्ड मोहर कर मार्का सी अंकित किया तथा मौके पर ही फर्द जब्ती बनाई, जो प्रदर्श पी–8 है, जिस पर ए से बी सी से डी साक्षीन, इ से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। साथ ही बरामदगी स्थल का नक्शामौका बनाया, जो प्रदर्श पी–13 है, जिस पर ए से बी सी से डी साक्षीन, ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जैर हिरासत मुलजिम कैलाश द्वारा दिनांक 18.07.2012 को उसको जरिये प्रदर्श पी–25 यह इत्तला भी दी थी कि चोरी में उसके हिस्से मे आया कम्प्यूटर उसने उसके घर पर छुपा रखा है जिसे वह साथ चलकर बरामद कर सकता है। उक्त इत्तला अनुसार दिनांक 20.07.2012 को वह मय मुलजिम, मय साक्षीन के मुलजिम कैलाश के गांव रसूलपुरा में उसके निवासरत मकान पर पहुंचा, जहां मुलजिम कैलाश ने साक्षीन के समक्ष अपने घर में से एक विप्रो कम्पनी का एलसीडी कम्प्यूटर, उक्त कम्पनी का एक कीबोर्ड, एक सीपीयू, एक माउस, निकालकर उसको पेश किया जो प्रकरण हाजा का माल होने पर उसने चारों आईटम को एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे में डालकर सील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया। मौके पर ही फर्द जब्ती बनाई, जो प्रदर्श पी–17 है, जिस पर ए से बी, सी से डी साक्षीन, इ से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स, वाई, जेड स्थान पर नमूना सील अंकित है। साथ ही बरामदगी स्थल का नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी–18 है जिस पर ए से बी सी से डी साक्षीन, इ से एफ मुलजिम व जी से एच

उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान दिनांक 21.07.2012 को जैर हिरासत मुलजिम गोपाल, विक्रम, व कैलाश ने पृथक–पृथक उसको स्वेच्छा से धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी कि उन्होनें होकरा स्कूल का ताला तोड़ा था, ताला तोड़ने में जो नकाब, व तीन कम्प्यूटर सेट उन्होने श्रीनगर रोड़ के पास घाटी में कुआ के पुराने गड्ढे में छुपा रखा है, जिसे चलकर बरामद करा सकते हैं। धारा 27 की इत्तला प्रदर्श पी–30, 31 व 32 है जिस पर ए से बी इत्तला, सी से डी मुलजिम के व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा जैर हिरासत मुलजिमान गोपाल, विक्रम, कैलाश की इत्तला अनुसार उनकी निशादेही से श्रीनगर घाटी पर बने एक कुंए के गड्ढे में से मुलजिमान गोपाल, विक्रम, कैलाश ने एक तोडा हुआ ताला, दो कुशे (नकाब) दो कम्प्यूटर के पार्ट का ढक्कननुमा प्लास्टिक के कवर पेश किए, जिनको उसने साक्षीन के समक्ष जरिये फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–10 है, जिस पर ए से बी, सी से डी साक्षीन, इ से एफ, जी से एच. आई से जे मुलजिमान व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स, वाई, जेड स्थान पर नमूना सील अंकित है। साथ ही बरामदगी स्थल का नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी–11 है, जिस पर ए से बी सी से डी साक्षीन, इ से एफ, जी से एच आई से जे मुलजिमान व के से एल उसके हस्ताक्षर है। वास्ते कार्यवाही तस्दीक नक्शा मौका, निरूद्धगी, अनुसंधान व कार्यवाही हेतु रवानगी आमद बाबत मजमून की रिपोर्ट प्रदर्श पी–33 है, जिन पर ए से बी प्रमाणित कर उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान होकरा राजकीय स्कूल से चोरी हुए सामान के स्वामित्व बाबत परिवादी द्वारा उसके समक्ष बिल व स्कूल का रिकॉर्ड पेश किए, जो उसके द्वारा शामिल पत्रावली किए गए, जो प्रदर्श पी–4 लगयात 6 है, जिन पर सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम विक्रम सिंह व गोपाल का सजायफ्ता रिकॉर्ड प्रदर्श पी–34 है, जो उसके द्वारा शामिल पत्रावली किया गया। उसके सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम कैलाश विक्रम सिंह, गोपाल व संघर्षत बालक रामलाल के विरूद्ध धारा 457,380 आईपीसी में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चालान हेतु पत्रावली एसएचओ गोपाल लाल को सूपूर्द की, जिन्होने बाद अवलोकन अनुसंधान पत्रावली मुलजिम कैलाश विक्रम सिंह व गोपाल के व संघर्षत बालक रामलाल के विरूद्ध धारा 457,380 आईपीसी में सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण हाजा का माल एक सफेद कपड़े की थैली में सील्डशुदा हालत मे न्यायालय के समक्ष पेश हुआ, थैली पर चिटचेपा पर मालखाना नंबर 112/12, मुकदमा नंबर 132/12 लाल स्याही से अंकित है, चिटचेपा प्रदर्श पी–36 है, जिस पर ए से बी जब्तशुदा सामग्री का इन्द्राज, सी से डी, ई से एफ साक्षीन, जी से एच उसके हसताक्षर है तथा आई से जे, के से एल, एम से एन मुलजिमान कैलाश, गोपाल, विक्रम के हस्ताक्षर हैं। न्यायालय की इजाजत से सील्डशुदा थैली को खोला गया जिसमें से एक लोहे का स्टील रंग का टूटा हुआ ताला, जिस पर लार्क रेन्यू 102 लिखा हुआ है, एक लौहे का नुकीला नकाब कुशा जो जंग लगा हुआ है, एक लौहे का एक तरफ से चपटा नुकीला व दूसरी तरफ से टोपीदार नकाब कुशा, एक कम्प्यूटर के किसी पार्ट का ढक्कननुमा प्लास्टिक का कवर जिस पर 20470–021जी लिखा हुआ है तथा एक और प्लास्टिक का कम्प्यूटर के किसी पार्ट का ढक्कननुमा प्लास्टिक का कवर, यह वही माल है जो उसके द्वारा मुलजिमान विक्रम सिंह, कैलाश, गोपाल की निशादेही से उनकी इत्तला अनुसार जरिये

प्रदर्श पी–10 श्रीनगर रोड़ लिरी का बाड़ीया तिराहे से बडल्या पुराने कुएं में से जब्त किया था, उक्त सभी माल सफेद कपड़े की थैली में है जो की आर्टिकल–1 है। प्रकरण हाजा का माल उसके द्वारा मुलजिमान की निशादेही से जब्त कर जमा मालखाना करवाया था, असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–36 है जिस पर ए से बी मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 112/12 पर इन्द्राज कर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह पुष्कर थाने में 2010 से 2013 तक पदस्थापित रहा था। उसे उक्त पत्रावली प्रकरण दर्ज होने के दिन ही अनुसंधान हेतु सुपुर्द कर दी थी। परिवादी ने उसे तहरीरी रिपोर्ट नहीं दी थी। एसएचओ गोपाल लाल के समक्ष पेश की थी। वह दिनांक 17.07.2012, 19.07.2012 व 20.07.2012 को उक्त प्रकरण में अनुसंधान के लिए थाने से बाहर गया, उसकी रपट रोजनामचा में डाली थी। यह कहना सही है कि दिनांक 17.07.2012 की रपट पत्रावली पर नहीं है। प्रदर्श पी–3 घटनास्थल के आसपास में मकान नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–3 में घटनास्थल के पास में हरि रावत, सुखदेव रावत, खींया रावत का मकान है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–3 में घटनास्थल के सामने पुष्कर से जयपुर जाने वाली रोड़ है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–3 पर उसने हरि रावत, सुखदेव रावत, खींया रावत के हस्ताक्षर नहीं कराये। अजखुदकहा कि वो उस समय मौजूद नहीं थे। यह कहना सही है कि उसने हरि रावत, सुखदेव रावत, खींया रावत के बयान नहीं लिए। अजखुदकहा उसने कोशिश की पर कोई बयान देना नहीं चाहा रहा था। यह कहना सही है कि उसने इन साक्षीन को बयान देने के लिए लिखित में तहरीर जारी नहीं की थी, ना ही इन साक्षियों से लिखित में लिया कि वो बयान नहीं देना चाहा रहे थे। अजखुद कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहा रहे थे। ना तो किसी ने बयान दिये, ना किसी ने लिखित में दिया। यह कहना सही है कि उसने संबंधित सरपंच या वार्डपंच को मौके पर नहीं बुलाया था। यह कहना सही है कि उसने संबंधित सरपंच या वार्डपंच को साक्षी बनने के लिए लिखित में तहरीर जारी नहीं की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–4 स्कूल का रिकार्ड नहीं है, अजखुद कहा प्रदर्श पी–4 से लगायत 6 स्कूल का रिकार्ड है। यह कहना सही है कि उसने इस प्रकरण में स्कूल का कोई स्टॉक रजिस्टर जब्त नहीं किया था। यह कहना सही है कि चोरी हुआ सामान आज न्यायालय के समक्ष नहीं है। यह कहना सही है कि सैमसंग प्रोफेशनल डिस्पले एलसीडी मोनिटर 32 विद ब्रेकेट का असल बिल उसे नहीं दिया था, फोटोकॉपी–थी, अजखुद कहा कि फोटोकॉपी–प्रमाणित शुदा है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–17 व पी–9 फर्द में वर्णित विप्रो कम्पनी का कम्प्यूटर, एक सीपीयू, एक बोर्ड, एक माउस विप्रो कंपनी का बिल पत्रावली में नहीं है, अजखुदकहा कि प्रदर्श पी–4 ही बिल है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–10 में वर्णित टूटा ताला, कम्प्यूटर के टूटे हुए पार्ट्स का बिल पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रकरण हाजा का जब्तशुदा संपूर्ण माल आज न्यायालय में नही है अजखुद कहा कि बाकी का माल न्यायालय के आदेश से रिलीज किया जा चुका है। यह कहना सही है कि जब्तशुदा सामान परिवादी कि निशादेही से जब्त नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में जब्ती की कार्यवाही और अनुसंधान की कार्यवाही भी उसने की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8, 9, 10, 17 के जब्ती स्थल के

मालिकाना हक संबंधी कोई दस्तावेज उसने जब्त नहीं किए थे, अजखुद कहा कि उनके पास उस समय कोई दस्तावेज नहीं थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–24 से लगायत पी–32 फर्द इत्तला में किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है, अजखुद कहा जहां इत्तला दी थी वहां कोई स्वतंत्र साक्षी उपस्थित नहीं था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–11 वाला स्थान खुला स्थान है वहां पर कोई भी व्यक्ति आ–जा सकता है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–12 में जब्तीस्थल के पास में सोहन सिंह रावत का मकान है, उसने सोहन सिंह रावत के प्रदर्श पी–12 पर हस्ताक्षर नहीं कराये, ना उसके कोई बयान लिए ना ही बयान के लिए लिखित में तहरीर जारी की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–13 जब्तीस्थल के पास में ज्ञान सिंह रावत का मकान है, ज्ञानसिंह रावत के उसने प्रदर्श पी–13 पर हस्ताक्षर नही कराये ना उसके कोई बयान लिए अजखुदकहा कोई भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–13 के सामने श्रीनगर से बडल्या जाने वाली रोड़ है, उसने किसी वाहन चालक या राहगीर को रोककर इस संबंध में पूछताछ नहीं की थी। प्रदर्श पी–18 जब्तीस्थल के पास में फतेह मोहम्मद, मांगीलाल गुर्जर का मकान है, उसने फतेह मोहम्मद व मांगीलाल के प्रदर्श पी–18 पर हस्ताक्षर नही कराये ना उनके बयान लिए ना बयान के लिए लिखित में तहरीर जारी की थी अजखुद कहा कोई भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित नहीं थे। यह कहना सही है कि जब्तशुदा माल के सबंध में पहचान परिवादी ही कर सकता है। प्रदर्श पी–12,13,18 पर किसी व्यक्ति का नाम, नेम प्लेट लिखा हो तो उसे अभी ध्यान नहीं है। यह कहना सही है प्रदर्श पी–12 में उसने उक्त जब्तीस्थल का मकान नंबर व मकान मालिक की नाम प्लेट के संबंध में अंकन नहीं किया है। जब्तीस्थल का मैन गेट खुला था या बंद था, उसे आज याद नहीं है, जब्तीस्थल का मैन गेट खुला था या बंद था इसका वर्णन प्रदर्श पी–12, 13, 18, 8, 9, 10, 17 में नहीं है। जब्ती स्थल पर हम गए तब वहां पर कौन–कौन लोग उपस्थित थे, उसे आज ध्यान नही है और इसका विवरण प्रदर्श पी–12, 13, 18 में नहीं किया हुआ है। यह उसे पता नही है कि प्रदर्श पी–12, 13, 18 में कितने कमरे है, उन कमरों के कितने गेट, कितनी खिड़कियां हैं और उसमें क्या–क्या सामान पड़ा था। यह कहना सही है कि जब्तशुदा कम्प्यूटर जैसे कम्प्यूटर बाजार में मिल जाते हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–12, 13, 18, 8, 9, 10, 17 में किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं, अजखुदकहा कि कोई भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। समस्त लिखापढ़ी की कार्यवाही उसने की थी। यह उसे पता नही है कि प्रदर्श पी–12, 13, 18, 8, 9, 10, 17 की कार्यवाही में कितना समय लगा था, अजखुद कहा कि जब्ती की कार्यवाही में समय का अंकन किया हुआ है। उसने जब्तशुदा सामान से फिन्गरप्रिन्ट नहीं लिए थे। प्रदर्श पी–8 वाला स्थान व प्रदर्श पी–9 वाले स्थान के बीच में कितनी दूरी है व वहां पहुंचने में उसे कितना समय लगा अभी उसे ध्यान नहीं है। सभी मुलजिमान को उसने अलग–अलग गिरफ्तार किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार करने से पहले उनका पहचान संबंधी दस्तावेज लिया हो तो उसे आज याद नहीं है। आरोपी ने किस रंग के कपड़े पहन रखे थे, अभी उसे ध्यान नही है अजखुदकहा फर्द देखकर बता सकता है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–14,15,16 में आरोपीगण को गिरफ्तार करने से पूर्व उसके परिवार वालो को

सूचना दी हो इसका इन्द्राज नहीं किया हुआ है। यह कहना सही है कि उसके द्वारा आर्टिकल 1 में जो सामान जब्त किया था, दौराने जब्ती उन पर से फिंगरप्रिन्ट नहीं लिया था। यह कहना गलत है कि उसने समस्त फर्दे थाने पर बैठकर बनाई हो। यह कहना भी गलत है कि वह मौके पर नहीं गया हो, यह कहना भी गलत है कि उसने साक्षियों के बयान अपनी मनमर्जी से लिखे हो। यह कहना गलत है कि उसने आरोपीगण के विरूद्व गलत अनुसंधान कर उन्हे झूठा फंसाया हो।

आगे **साक्षी पीडब्ल्यू–11 जेठूसिंह** ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 19.07.2012 को पुलिस थाना पुष्कर पर कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज अनुसंधान अधिकारी शम्भूदयाल एएसआई साहब ने मुकदमा नंबर 132/12 धारा 457,380 आईपीसी में उसके और लेखराज साक्षीन के समक्ष आरोपी रामलाल उर्फ रामू से एक प्रिन्टर छोटा सैमसंग कम्पनी का जब्त किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–22 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। साथ ही बरामदगी स्थल का नक्शामौका बनाया था, जो प्रदर्श पी–23 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण को उक्त साक्षी से **प्रतिपरीक्षा** किए जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया किंतु उक्त साक्षी से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

आगे **साक्षी पीडब्ल्यू–12 सुखराम** ने शपथ पर कथन किए कि वह दिनांक 20.07.2012 को पुलिस थाना पुष्कर पर कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज प्रकरण संख्या 132/12 धारा 457,380 आईपीसी में आरोपी गोपाल व विक्रम के मुताबिक इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला अनुसार वह, हरिराम कानि. तथा आरोपी गोपाल व विक्रम के अनुसंधान अधिकारी शंभूदयाल एएसआई के साथ थाना हाजा से रवाना होकर मुलजिम के बताये अनुसार ग्राम बडल्या पहुंचे, जहां पर आरोपी गोपाल ने स्वेच्छा से उनके आगे–आगे चलकर अपने रिहायशी मकान के कमरे में से एक सैमसंग कंपनी की एलसीडी टीवी पेश की, जिसको प्रकरण हाजा का माल मसूरका होने के कारण शंभूदयाल एएसआई ने एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का सी अंकित किया तथा मौके पर ही फर्द जब्ती बनाई, जो प्रदर्श पी–8 है, जिस पर सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम गोपाल के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। साथ ही जिस स्थान से मुलजिम गोपाल ने उक्त एलसीडी निकाल कर दी, उस स्थान का बरामदगी नक्शा मौका शंभूदयाल एएसआई ने उनके समक्ष मुलजिमान की उपस्थिति में बनाया, जो प्रदर्श पी–13 है, जिस पर सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम गोपाल के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही अनुसंधान अधिकारी शंभूदयाल एएसआई के साथ वह और हरिराम मय मुलजिम विक्रम व गोपाल बडल्या से रवाना होकर विक्रम के बताये अनुसार उसके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां विक्रम ने उसके और हरिराम साक्षीन के समक्ष अपने रिहायसी मकान के कमरे में से एक कम्प्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, 1 माउस निकालकर शंभूदयाल एएसआई को पेश किया, जो प्रकरण हाजा का माल मशरूका होने पर प्लास्टिक के कट्टे में डालकर मार्का डी अंकित किया तथा मुलजिम विक्रम की निशादेही से वारदात मे उपयोग ली गई मारूति वैन नंबर आरजे–01–यूए–1748 जो कि आरोपी के मकान के चौक में खड़ी थी, उसको भी जब्त किया और मौके पर ही फर्द जब्ती बनाई, जो प्रदर्श पी–

9 है, जिस पर सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम विक्रम सिंह के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मौके पर ही बरामदगी स्थल का नक्शामौका भी बनाया, जो प्रदर्श पी–12 है, जिस पर भी सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम विक्रम सिंह के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि उसके सामने बरामदगी की गई थी, उस समय परिवादी उनके साथ उपस्थित नहीं था। यह कहना गलत है कि बरामद किए गए माल की पहचान परिवादी ही कर सकता है। अजखुदकहा कि पत्रावली पर चोरी हुए माल का बिल संलग्न है, जिसको देखकर पहचान की थी। यह कहना सही है कि पत्रावली पर संलग्न बिल आईओ के सामने कब पेश हुए, उसकी दिनांक का अंकन बिल पर नही है। यह उसकी जानकारी में नही है कि आईओ ने आरोपी के निवास स्थान के मालिकाना हक संबंधित कोई दस्तावेज लिया हो या नहीं। यह कहना सही है कि पत्रावली में आरोपीगण के मकान के मालिकाना हक संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि जब वे बडल्या गांव गए थे, तब उक्त मकान पर नम्बर प्लेट व मकान नंबर नही लिखे हुए थे। वे वहां गए तब मकान का गेट बंद था, कुंडी लगी हुई थी, मकान पर लगी कुंडी आरोपीगण ने स्वंय ने पुलिस के आगे–आगे चलकर खोली थी। आरोपी गोपाल के मकान में तीन कमरे बने हुए थे, जिस कमरे से वे माल बरामद करना बता रहे हैं, उस कमरे में कितनी खिडकियां, कितने दरवाजे थे, आज उसे याद नही है। उक्त मकान में घरेलू उपयोग का सारा समान था। यह वह नहीं बता सकता कि मौके पर आरोपी के परिवार के कौन–कौन सदस्य मौजूद थे। बरामदगी स्थल के आसपास पड़ोसियों के मकान थे, उन पड़ोसियों के नाम वह नही जानता। अनुसंधान अधिकारी ने उसके सामने इस संबंध में पड़ोसियों के कोई बयान नहीं लिए थे। यह कहना सही है कि वे थाने से रवाना होते हैं, तो रवानगी की रपट रोजनामचा रजिस्टर मे डाली जाती है। उस दिन वे थाने से रवाना हुए उसकी रपट थाने पर डाली गई हो, यह अनुसंधान अधिकारी ही बता सकता है। यह कहना सही है कि उस दिन वे थाने से रवाना हुए, उसकी रोजनामचा रपट थाने पर डाली गई हो, उसकी प्रति पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि वह जो समान जब्त करना बता रहा हैं, वैसा हुबहु सामान बाजार में मिल जाता है। यह कहना सही है कि उसके सामने जो समान जब्त किया गया था, वह आज न्यायालय के समक्ष नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8, पी–9 व पी–12 तथा पी–13 पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी–8, पी–9 व पी–12 तथा पी–13 पर समस्त कार्यवाही व लिखापढ़ी शंभूदयाल एएसआई साहब ने की थी। सम्पूर्ण कार्यवाही में लगभग ढाई से तीन घंटे का समय लगा था। यह कहना सही है कि उसके सामने आईओ ने बरामदशुदा माल से कोई फिन्गरप्रिन्ट नहीं लिए थे। प्रदर्श पी–8 व पी–9 के बीच करीबन आधा से एक किलोमीटर की दूरी है, वहां पहुंचने में 10 से 15 मिनट का समय लगा था। यह आज उसे याद नहीं है कि प्रदर्श पी–8, 9, 12, 13 बनाने से पहले संबंधित सरपंच या वार्डपंच को मौके पर बुलाया हो या नहीं। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि उक्त फर्दे बनाने से पूर्व संबंधित सरपंच या वार्डपंच को मौके पर बुलाने के लिए लिखित में तहरीर जारी की हो या नहीं। प्रदर्श पी–9 में तीन कमरे बने हुए थे। प्रदर्श पी–9 पर मकान के नम्बर प्लेट व मकान नम्बर नहीं लिखा हुआ था। आज उसे याद नहीं है कि प्रदर्श

पी–9 बनाते समय मौके पर आरोपी के परिवार के कौन–कौन से सदस्य उपस्थित थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–9 बनाते समय उसके मालिकाना हक संबंधी कोई दस्तावेज नहीं लिए थे, अजखुदकहा आईओ ने लिए हो तो उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी–9 बनाते समय पड़ौसी कौन–कौन थे, उनके नाम पते आज उसे याद नहीं है। प्रदर्श पी–9 बनाने से पहले संबंधित सरपंच या वार्डपंच को उसके सामने नहीं बुलाया था, ना ही कोई लिखित तहरीर जारी की थी। यह कहना सही है कि उसके सामने आईओ ने आरोपीगण के पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं लिए, अजखुदकहा कि आईओ ने लिए हो तो उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–13 में बडल्या से श्रीनगर जाने वाली मैन सड़क है। यह कहना सही है कि उस दिन उस आम सड़क पर लोगबाग व वाहन चालक भी आ–जा रहे थे। आज उसे याद नही है कि आईओ ने किसी वाहन चालक या राहगीर को रोककर किसी से पूछताछ की हो। यह कहना सही है कि उसके सामने आईओ ने उक्त 4 फर्दो पर स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं करवाये थे। यह कहना सही है कि अनुसंधान अधिकारी ने प्रदर्श पी–12 बनाने से पूर्व सोहनसिंह रावत से उसके समक्ष न तो कोई पूछताछ किए थे और ना ही कोई बयान लिए थे और ना ही उसके किसी फर्द पर उसके हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–13 बनाने से पहले अनुसंधान अधिकारी ने ज्ञानसिंह रावत से उसके समक्ष ना तो कोई पूछताछ किए थे और ना ही कोई बयान लिए थे और ना ही उसके किसी फर्द पर उसके हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया हो और यह कहना भी गलत है कि उसने समस्त फर्दो पर हस्ताक्षर थाने पर किए हो। यह कहना भी गलत है कि वह अनुसंधान अधिकारी के अधिनस्थ होने के कारण से आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है।

12– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में अपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादी जगदीश द्वारा दिनांक 13.0.72012 को एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर के समक्ष पेश करने पर हुआ, जिसके माध्यम से परिवादी जगदीश ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह राजकीय माध्यमिक विद्यालय होकरा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है तथा दिनांक 12.07.2012 को विद्यालय की छुट्टी के बाद हमेशा की तरह उसने प्रधानाध्यापक कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष व अन्य समस्त कमरों व मुख्य गेट के ताला लगाकर गया था तथा दूसरे दिन दिनांक 13.07.2012 जब वह विद्यालय का मुख्य गेट का ताला खोलकर अंदर आया तो उसने प्रधानाध्यापक कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष का ताला नहीं पाया तथा कुन्दी लगी हुई थी और जब उसने दरवाजा खोला तो कम्प्यूटर कक्ष में से 5 कम्प्यूटर सैट मय मॉनीटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, केबल, एलसीडी, स्कैनर व प्रिंटर आदि सामग्री गायब मिली, जिसकी सूचना उसने प्रधानाध्याक को दूरभाष पर दी तथा थोड़ी देर बाद मौके पर सरपंच होकरा आ गए थे। उक्त परिवादी जगदीश न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है, साथ ही अपने कथनों के समर्थन में 3 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया, जिनमें उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 तथा उसके अनुसरण में जारी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 व

नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–3 है जिन पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि उसने चोरी करते हुए किसी को नहीं देखा। इसी प्रकार अन्य साक्षी पीडब्ल्यू–2 संजय कुमार ने भी अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी जगदीश पीडब्ल्यू–1 के कथनों भांति ही कथन किए हैं और स्कूल में उक्त कम्प्यूटर लगाने की इंस्टोलेशन रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 होना बताया है। चोरी हुए सामान की सूची प्रदर्श पी–5 तथा एल.सी.डी. का डिलीवरी चालान प्रदर्श पी–6 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया कि ऐसे कम्प्यूटर बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। स्कूल में रात्रि में कोई चौकीदार नहीं रहता है।

13– आगे अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी पीडब्ल्यू–3 रविन्द्र सिंह, जो उसी विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत था, ने अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी जगदीश पीडब्ल्यू–1 के कथनों की भांति ही कथन किए एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके स्कूल में नियुक्ति बाबत् कोई कागज पत्रावली पर नहीं है। आगे अन्य साक्षी पीडब्ल्यू–4 सुशील कुमार ने नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–3 पर अपने हस्ताक्षर होना अपने मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है। आगे साक्षी पीडब्ल्यू–5 प्रदीपराम ने तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी–7 पर अपने हस्ताक्षर होना अपने मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है।

14– आगे साक्षी पीडब्ल्यू–6 हरिराम ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त गोपाल की इत्तला के मुताबिक शम्भूदयाल सहायक उपनिरीक्षक द्वारा एक एलसीडी सैमसंग कम्पनी रंग काला, 32 इंच का जरिये फर्द प्रदर्श पी–8 उसके सामने जब्त करना, उसी दिनांक को अभियुक्त विक्रम की इत्तला आधार पर एक कम्प्यूटर विप्रो कम्पनी का, दो सीडी, सीपीयू, माउस व चोरी की घटना में काम ली गई मारूती नम्बर 1748 को जरिये फर्द प्रदर्श पी–9 उसके सामने जब्त करना तथा अभियुक्त कैलाश, गोपाल व विक्रम की इत्तला के आधार पर एक टूटा हुआ ताला, दो नकाब व दो कम्प्यूटर के पार्ट के ढक्कन को जरिये फर्द प्रदर्श पी–10 उसके सामने जब्त करना और उक्त फर्दों पर अपने हस्ताक्षर होने बाबत् साक्ष्य दी है। साथ ही उक्त साक्षी ने दिनांक 21.07.2012 को तीनो अभियक्तगण की निशादेही से नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–11, अभियुक्त विक्रम की निशादेही से नक्शा मौका प्रदर्श पी–12 तथा नक्शा मौका बरामदगी स्थल द्वारा अभियुक्त गोपाल प्रदर्श पी–13 उसके सामने बनाने व उन पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–8, 9 व 10 जब बनाए तब परिवादी उनके साथ नहीं था। प्रदर्श पी–8, 9 व 10 में मालिक के नाम की कोई नेम प्लेट लगी हुई नहीं थी, ना ही उक्त बरामदगी स्थल आरोपीगण के मालिकाना हक के हों, इस बाबत् कोई दस्तावेज उसके सामने अनुसंधान अधिकारी ने लिए। प्रदर्श पी–11 सुनसान जगह थी, इसलिए वहां कोई स्वतंत्र साक्षी को नहीं बुलाया गया।

15– आगे साक्षी पीडब्ल्यू–7 महिपाल सिंह ने अभियुक्त कैलाश की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–14, अभियुक्त विक्रम की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–15 व अभियुक्त

गोपाल की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–16 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त कैलाश से एक कम्प्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस विप्रो कंपनी का मुताबिक इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम, अभियुक्त कैलाश के रिहायशी मकान से बरामद कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी–17 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साथ ही अभियुक्त कैलाश, विक्रम व गोपाल की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला पर उनकी निशादेही से उसके व हरिराम के सामने टूटा हुआ ताला, दो कुशे, कम्प्यूटर के दो टूटे हुए पार्टस की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–10 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साथ ही दिनांक 18.07.2012 को उसके सामने अभियुक्त कैलाश, विक्रम व गोपाल की निशादेही से तस्दीक मौका घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–7 व फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–11 तैयार किया जाना और उन पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अभियुक्त कैलाश की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला से जो माल बरामद हुआ, उस स्थान का नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–18 पर अपने हस्ताक्षर होना उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–14, प्रदर्श पी–15 व प्रदर्श पी–16 पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। आगे उक्त साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–11 खुला स्थान है, जहां पर कोई भी व्यक्ति आ–जा सकता है। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि जब्तशुदा सामान बाजार में आसानी से मिल सकता है।

16– आगे साक्षी पीडब्ल्यू–8 लेखराज ने आरोपी रामलाल को उसके सामने निरूद्ध करना और उक्त आरोपी की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी–21 के आधार पर एक सैमसंग कंपनी का लैजर प्रिन्टर जरिये प्रदर्श पी–22 जब्त करना, फर्द निरूद्धगी रामलाल प्रदर्श पी–20 होना और फर्द जब्ती प्रदर्श पी–22 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। साथ ही अभियुक्त रामलाल उर्फ रामू की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के अनुसार उसके सामने घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका व बरामदगी स्थल का नक्शा मौक प्रदर्श पी–19 व पी–20 बनाना और जिन पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इसी प्रकार अन्य साक्षी छोटू उर्फ रामलाल पीडब्ल्यू–9 ने अभियुक्त रामलाल की फर्द निरूद्धगी पी–20 व घटनास्थल तस्दीक प्रदर्श पी–19 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। आगे साक्षी जेठू सिंह पीडब्ल्यू–11 ने उसके सामने आरोपी रामलाल उर्फ रामू से एक प्रिन्टर छोटा सैमसंग कंपनी का जरिये प्रदर्श पी–22 जब्त करना और बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–23 होना, जिन पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

17– आगे साक्षी पीडब्ल्यू–12 सुखराम ने अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षीगण की भांति अभियुक्त गोपाल व विक्रम की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर अभियुक्त गोपाल की निशादेही से जब्त सैमसंग कंपनी की एल.सी.डी. टी.वी की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–8 पर अपने हस्ताक्षर होने, जिस स्थान से अभियुक्त गोपाल ने एल.सी.डी. निकाल कर दी उस स्थान का बरामदगी का नक्शा मौका प्रदर्श पी–13 उसके सामने बनाने बाबत् साक्ष्य दी है। साथ ही साक्षी ने कथन किया कि उसी दिन अनुसंधान अधिकारी के साथ वह अभियुक्त विक्रम व गोपाल के बताये अनुसार उनके निवास पर पहुॅचा, जहां

अभियुक्त विक्रम द्वारा उनके सामने कमरे से एक कम्प्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, एक माउस निकाल कर शम्भूदयाल सहायक उपनिरीक्षक को पेश किया और वारदात में उपयोग में ली गई मारूति वैन नंबर आरजे–01–यूए–1748 को उसके समक्ष जरिये प्रदर्श पी–9 के जब्त किया तथा नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–12 बनाया जिन पर उसने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई विस्तृत प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया कि बरामदगी के समय परिवादी उनके सामने उपस्थित नहीं था।

18– अंत में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी शम्भूदयाल पीडब्ल्यू–10 ने स्वयं द्वारा किए गए अनुसंधान बाबत् विस्तृत सकारात्मक साक्ष्य दी है और न्यायालय के समक्ष प्रकरण में जब्तशुदा सामान लोहे का स्टील रंग का टूटा हुआ ताला, जिस पर लार्क रेन्यू 102 लिखा है, एक लोहे का नुकीला कुशा, एक लोहे का एक तरफ से चपटा नुकीला व दूसरी तरफ से टोपीदार नकाब कुशा, एक कम्प्यूटर के किसी पार्ट का ढक्काननुमा प्लास्टिक का कवर, एक और प्लास्टिक का कम्प्यूटर के किसी पार्ट का ढक्काननुमा प्लास्टिक का कवर को बतौर वजह सबूत पेश किया और अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–3 पर आस–पास के लोगों के हस्ताक्षर नहीं कराए, फिर कहा कि कोई मौजूद नहीं थे। साथ ही स्वीकार किया कि प्रकरण हाजा में जब्तशुदा संपूर्ण माल न्यायालय में पेश नहीं है, फिर कहा कि बाकी का माल न्यायालय के आदेश से रिलीज किया जा चुका है। आगे यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–8 लगायत पी–10 व पी–17 जब्ती स्थल के मालिकाना हक सम्बंधी कोई दस्तावेज जब्त नहीं लिए थे।

19– इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने अपनी कहानी की प्रमाणिकता हेतु मौखिक साक्ष्य में जिन साक्षीगण को पेश किया है, उनसे अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है परन्तु उक्त समस्त साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों के संदर्भ में अखंडित रहे। अब यदि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो प्रदर्श पी–1 घटना की चोरी की रिपोर्ट है, जिसके अनुसारण में जारी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 है एवं घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है। न्यायालय यह उल्लेख करना वांछनीय समझता है कि चोरी के प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं होता है अपितु परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को अपना निष्कर्ष देना होता है। प्रदर्श पी–4 विप्रो लिमिटेड इनफोटैक डिवीजन द्वारा गवर्मेन्ट स्कूल होकरा में कम्प्यूटर इंस्टॉल करने की रिपोर्ट है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उक्त विद्यालय के अंदर प्रदर्श पी–4 में वर्णित कम्प्यूटर इंस्टॉल हुए थे। प्रदर्श पी–5 राजकीय माध्यमिक विद्यालय होकरा से चोरी हुए सामान की सूची है। न्यायालय यह उल्लेख करना वांछनीय समझता है कि प्रदर्श पी–5 में वर्णित सामग्री के राजकीय माध्यमिक विद्यालय होकरा में इंस्टॉल होने की पुष्टि प्रदर्श पी–4 से होती है और जिससे प्रकट होता है कि उक्त विद्यालय से जो सामान चोरी गया, वह सामान इस विद्यालय में इंस्टॉल हुआ था। प्रदर्श पी–5 राजकीय माध्यमिक विद्यालय होकरा से चोरी गए सामान की सूची है, जिसमें विप्रो कंपनी के 5 कम्प्यूटर सेट (मॉनिटर, सी.पी.यू., कीबोर्ड, माउस), एक कैनन कंपनी का स्केनर, एक सैमसंग का प्रिन्टर व एक सैमसंग कंपनी का एल.सी.डी. मॉनिटर चोरी जाना बताया गया है।

20– इस प्रकार प्रकरण में अभियुक्त गोपाल की निशादेही से प्रदर्श पी–8 फर्द जब्ती के जरिये सैमसंग कंपनी की एल.सी.डी व अभियुक्त विक्रम सिंह की निशादेही प्रदर्श पी–9 फर्द जब्ती के जरिये विप्रो कंपनी का कम्प्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड व माउस को अनुसंधान अधिकारी शम्भूदयाल पीडब्ल्यू–10 द्वारा स्वयं के सामने जब्त करने के सम्बंध में साक्षी हरिराम पीडब्ल्यू–6 व साक्षी सुखराम पीडब्ल्यू–12 के बयान एक–दूसरे से समर्थित एवं सम्पुष्टिक ढंग से प्रस्तुत हुए हैं, जिन्होने अभियुक्त गोपाल व विक्रम सिंह द्वारा अनुसंधान अधिकारी शम्भू दयाल पीडब्ल्यू–10 को प्रदर्श पी–8 व पी–9 फर्द जब्ती में वर्णित सामान अपने घर से बरामद कराने बाबत् ठोस, सटीक, सारगर्भित व विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत की है। इसी प्रकार से अभियुक्त कैलाश की निशादेही से प्रदर्श पी–17 फर्द जब्ती के जरिये विप्रो कंपनी का कम्प्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड व माउस को अनुसंधान अधिकारी शम्भूदयाल पीडब्ल्यू–10 के सामने स्वयं के सामने जब्त करने के सम्बंध में साक्षी महिपाल पीडब्ल्यू–7 ने भी ठोस, सटीक, सारगर्भित व विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत की है।

21– अब न्यायालय के यह समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अनुसंधान अधिकारी शम्भूदयाल ने अभियुक्तगण की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के अनुसरण में उनकी निशादेही से फर्द जब्तियां क्रमशः प्रदर्श पी–8, प्रदर्श पी–9 व प्रदर्श पी–17 के जरिये जो सामान बरामद किया है, क्या वह परिवादी पक्ष का चोरी गया सामान ही है? इस सम्बंध में अभियुक्त गोपाल की निशादेही से तैयार प्रदर्श पी–8 फर्द जब्ती सामान अवलोकन किया जाए तो दर्शित होता है कि अनुसंधान अधिकारी शम्भूदयाल पीडब्ल्यू–10 ने प्रदर्श पी–8 फर्द जब्ती के माध्यम से अभियुक्त गोपाल की निशादेही से ग्राम बडल्या स्थित उसके मकान से एक ZRYAHMB400006Y नंबर की सैमसंग कंपनी की एक एल.सी.डी. बरामद करना बताया है। इस संदर्भ में प्रदर्श पी–5 चोरी गए सामान की सूची का अवलोकन करें तो चोरी गए सामान की सूची के क्रम संख्या–5 पर सैमसंग कंपनी की एल.सी.डी नंबर ZRYAHMB400006Y चोरी जाने का अंकन है, इससे दर्शित उक्त एल.सी.डी. को राजकीय माध्यमिक विद्यालय होकरा से अभियुक्त गोपाल द्वारा ही चोरी किया गया था। आगे इसी क्रम में अभियुक्त विक्रम सिंह की निशादेही से तैयार प्रदर्श पी–9 फर्द जब्ती सामान का अवलोकन किया जाए तो दर्शित होता है कि इस फर्द जब्ती के माध्यम से अनुसंधान अधिकारी शम्भूदयाल पीडब्ल्यू–10 ने अभियुक्त विक्रम सिंह की निशादेही से ग्राम बडल्या स्थित उसके मकान से एक विप्रो कंपनी का कम्प्यूटर सैट, जिसमें सीपीयू, कीबोर्ड व माउस शामिल है, बरामद करना बताया है, जिसका नंबर 11FFQP02400123 फर्द जब्ती प्रदर्श पी–9 में अंकित है। इस संदर्भ में भी प्रदर्श पी–5 चोरी गए सामान की सूची का अवलोकन करें तो चोरी गए सामान की सूची के क्रम संख्या–1 कम्प्यूटर सेट(मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस) विप्रो कंपनी नंबर 11FFQP02400123 का चोरी जाने का अंकन है, इससे दर्शित उक्त कम्प्यूटर सेट(मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस) विप्रो कंपनी नंबर 11FFQP02400123 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय होकरा से अभियुक्त विक्रम सिंह द्वारा ही चोरी किया गया था। आगे इसी क्रम में अभियुक्त कैलाश की निशादेही से तैयार प्रदर्श पी–17 फर्द जब्ती सामान का अवलोकन किया जाए तो दर्शित होता है कि इस फर्द

जब्ती के माध्यम से अनुसंधान अधिकारी शम्भूदयाल पीडब्ल्यू–10 ने अभियुक्त कैलाश गुर्जर की निशादेही से ग्राम रसूलपुरा स्थित उसके मकान से एक विप्रो कंपनी का कम्प्यूटर सैट, जिसमें सीपीयू, कीबोर्ड व माउस शामिल है, बरामद करना बताया है, जिसका नंबर 11DFPT02300013 फर्द जब्ती प्रदर्श पी–10 में अंकित है। इस संदर्भ में प्रदर्श पी–5 चोरी गए सामान की सूची का अवलोकन करें तो चोरी गए सामान की सूची के क्रम संख्या–2 (D) में कम्प्यूटर सेट(मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस) विप्रो कंपनी का नंबर 11DFPT02300013 चोरी जाने का अंकन है, इससे दर्शित उक्त कम्प्यूटर सेट(मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस) विप्रो कंपनी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय होकरा से अभियुक्त कैलाश द्वारा ही चोरी किया गया था। इसी क्रम में प्रदर्श पी–10 फर्द जब्ती सामान का अवलोकन किया जाए तो दर्शित होता है कि उक्त प्रदर्श पी–10 फर्द जब्ती सामान को प्रदर्श पी–30 लगायत 32 धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के अनुसरण में तैयार किया गया, जिस फर्द जब्ती के माध्यम से अनुसंधान अधिकारी शम्भूदयाल पीडब्ल्यू–10 ने अभियुक्तगण कैलाश, विक्रम व गोपाल की निशादेही से श्रीनगर रोड लिरी का बाडिया तिराहे से होकरा स्कूल का तोडा गया ताला, ताला तोडने के समय काम में लिया गया नकाब व दो कम्प्यूटर पार्ट के ढक्कन का बरामद करना बताया है। हालांकि उक्त सामान परिवादी पक्ष का चोरी गया सामान हो, इस सम्बंध में प्रदर्श पी–5 चोरी गए सामान में इस का अंकन नहीं है लेकिन उक्त लोहे के नकाब का उपयोग विद्यालय के ताले तोडने के उपयोग में लिया जाना प्रदर्श पी–30 लगायत पी–33 धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना में अभियुक्तगण ने बताया है। न्यायालय यह उल्लेख कर वांछनीय समझता है कि प्रदर्श पी–8, पी–9 व पी–17 फर्द जब्तियों के जरिये जो कम्प्यूटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, एल.सी.डी. अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू–10 शम्भूदयाल ने अभियुक्तगण कैलाश, विक्रम व गोपाल की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के अनुसरण में उनकी निशादेही से बरामद करना साबित किया है, वे परिवादी पक्ष के द्वारा पेश किए गए चोरी गए सामान की सूची प्रदर्श पी–5 से पूर्णतया मिलान करता है और उक्त चोरी गए सामान को चुराने के क्रम में स्कूल के मैन गेट का ताला, कम्प्यूटर कक्ष व अन्य कक्ष का ताला प्रदर्श पी–10 के माध्यम से अभियुक्तगण की निशादेही से बरामद करना बताया है, इससे दर्शित होता है कि परिवादी पक्ष द्वारा प्रदर्श पी–5 चोरी गए सामान की सूची के माध्यम से जो सामान राजकीय विद्यालय होकरा से चोरी जाना बताया गया है, वह चोरी गया सामान अभियुक्तगण की निशादेही से उनके घरों से बरामद हुआ है। जहां तक बरामदशुदा स्थान अभियुक्तगण के स्वामित्व अथवा कब्जे का होने के सम्बंध में दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जाने का प्रश्न है, तो अनुसंधान अधिकारी शम्भू दयाल पीडब्ल्यू–10 ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसने बरामदगी स्थल के स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त नही किए थे लेकिन इस सम्बंध में न्यायालय यह उल्लेख करना वांछनीय समझता है कि अभियुक्तगण के रहवास का जो पता आरोपपत्र एवं धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों में बताया गया है, वही स्थान प्रदर्श पी–8, पी–9 व पी–17 फर्द जब्ती का स्थान बताया गया है और प्रदर्श पी–12 लगायत 14 में भी फर्द बरामदगी स्थल का वही स्थान बताया गया है। अभियुक्तगण कहीं ओर निवास करते थे अथवा बरमादगीस्थल उनके स्वामित्व/कब्जे/ आधिपत्य का नहीं रहा हो, ऐसा बचाव उनके धारा 313 दण्ड प्रक्रिया

संहिता के कथनों में नहीं रहा है और न ही बचाव में ऐसी कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभियुक्तगण की ओर से पेश की गई है। अभियुक्तगण की निशादेही से प्रदर्श पी–8, पी–9 व पी–17 फर्द जब्ती के जरिये बरामदशुदा सामान परिवादी पक्ष राजकीय माध्मिक स्कूल होकरा के यहां चोरी गया सामान ही था, इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि परिवादी पक्ष ने प्रकरण में प्रदर्श पी–8, पी–9 व पी–17 के जरिये जब्तशुदा सामान को सुपुर्दगी पर प्राप्त कर लिया है और अभियुक्तगण ने परिवादी पक्ष को फर्द सुपुर्दगी पर उक्त सामान दिए जाने के सम्बंध में कोई आपत्ति पेश नहीं की थी।

22– साथ ही न्यायालय यह लिखना वांछनीय समझता है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी जगदीश ने जिस राजकीय माध्यमिक विद्यालय होकरा से प्रदर्श पी–1 में वर्णित सामान चोरी जाना बताया है, उस स्थान का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है जिसे अभियोजन पक्ष ने बखूबी साबित किया है। उक्त सामान में से कुछ सामान अभियुक्त कैलाश, विक्रम सिंह व गोपाल की निशादेही से उनके घरों से बरामद हुआ है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी–8, पी–9 व पी–17 फर्द जब्ती व नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी–12, पी–13 व पी–18 से होती है। उल्लेखनीय रहे कि अभियुक्तगण कैलाश, विक्रम सिंह व गोपाल के निशादेही से मुर्तिब घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी–7 एवं परिवादी की निशादेही के आधार पर चोरी हुए सामान के स्थान का नक्शा मौका पी–3 एक समान है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने न्यायालय से जरिये सुपुर्दगीनामा प्रकरण में जब्तशुदा सामान प्राप्त कर लिया है। ऐसी स्थिति मे यह प्रकट होता है कि अभियुक्तगण कैलाश, विक्रम सिंह व गोपाल ने परिवादी पक्ष की राजकीय माध्यमिक विद्यालय होकरा में गृह भेदन करते हुए सामान की चोरी की थी

23– इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है उनके समग्र अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं हुआ जिससे अभियोजन कहानी संदेह के बादल से आच्छादित हो। ऐसी स्थिति में अभियोजन की कहानी का अविश्वसनीय मानने का इस न्यायालय के समक्ष कोई कारण प्रकट नहीं होता है। फलतः अभियोजन की कहानी सन्देह से परे प्रमाणित पाई जाती है।

24– सम्प्रति, अभियोजन पक्ष, अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस अवधारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा कि अभियुक्तगण दिनांक 12.07.2012 की मध्य रात्रि के किसी समय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होकरा में चोरी करने की नीयत से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित कर विद्यालय में रखे 05 कम्प्यूटर मय मॉनीटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, केबल, स्कैनर, प्रिंटर बदनियति पूर्वक उठाकर ले गए, चोरी कारित की। फलतः अभियुक्त 1– कैलाश पुत्र शैतान, उम्र 33 साल, निवासी रसूलपुरा, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर एवं 2–गोपाल पुत्र रामसिंह, उम्र 28 साल, निवासी बडल्या, पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर धारा 457 एवं 380 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप के तहत दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

25- परिणामतः अभियुक्त 1– कैलाश पुत्र शैतान, उम्र 33 साल, निवासी रसूलपुरा, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर एवं 2–गोपाल पुत्र रामसिंह, उम्र 28 साल,

निवासी बडल्या, पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 457 एवं 380 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

26- अभियुक्त विक्रम सिंह की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध दिनांक 11.12.2019 को कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुष्कर, अजमेर न्याय क्षेत्र

27- सजा के प्रश्न पर सुना गया। सजा के बिन्दू पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति हैं। यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण द्वारा कभी भी न्यायालय द्वारा दी गई परिवीक्षा का लाभ नहीं लिया है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

28- विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

29- उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभियुक्तगण पर राजकीय विद्यालय होकरा में चोरी करने के आशय से रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कर राजकीय विद्यालय होकरा में विद्यार्थियों के शिक्षण लगाए गए कम्प्यूटर सैट, प्रिन्टर, एल.सी.डी को चोरी करके ले जाने का अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया गया है। इस प्रकृति के अपराध वर्तमान में उत्तरोत्तर बढते जा रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान नहीं उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अभियुक्तगण को निम्न दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

30- अतः अभियुक्त 1– कैलाश पुत्र शैतान, उम्र 33 साल, निवासी रसूलपुरा, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर एवं 2–गोपाल पुत्र रामसिंह, उम्र 28 साल, निवासी बडल्या, पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर को अपराध अन्तर्गत धारा 457 व 380 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध हेतु निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है–

क्रम संख्या	**अपराध अंतर्गत धारा**	**अपराध में दण्ड का प्रावधान**	**दोषसिद्धि पर सजा**	**अदम अदायगी जुर्माना में सजा**
1–	380 भारतीय दण्ड संहिता	7 वर्ष का कारावास और जुर्माना	04 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रूपए जुर्माना	02 माह का साधारण कारावास
2–	457 भारतीय दण्ड संहिता	14 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	05 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रूपए जुर्माना	02 माह का साधारण कारावास

31– प्रकरण में जब्तशुदा मालखाना(मुताबिक फर्द जब्ती) यदि कोई हो तो नियमानुसार निस्तारित किया जावें एवं यदि जब्तशुदा मालखाना सुपुर्दगीनामे एवं जमानतनामे पर सुपुर्द किया गया हो तो उसका सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निरस्त समझा जावें।

32– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत सिद्धदोष अभियुक्त की पूर्व में पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को मूल कारावास सजा में समायोजित किया जाये। सिद्धदोष अपराधी को दी गई उक्त सभी मूल सजाएं साथ–साथ चलेगी। अदम अदायगी जुर्माना की सजा पृथक से भुगतेगा।

33– अभियुक्तगण का सजा वारण्ट उपरोक्तानुसार बनाया जाये, जिस पर यह नोट अंकित हो कि सिद्धदोष अपराधी द्वारा अधिरोपित जुर्माने की राशि अदा नहीं की गई है। निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को अविलम्ब निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाये।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र

34– निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र